संख्या 387/697–उ0नि0/पीएस/आईडी/06

प्रेषक,

सचिव,
औद्योगिक विकास,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक उद्योग,
उत्तरांचल।

औद्योगिक विकास विभाग, देहरादून : दिनांक 26 दिसम्बर, 2006

विषय :– मैगा प्रोजैक्ट्स हेतु अधिसूचित भूमि के विशेष औद्योगिक क्षेत्र घोषित किये जाने के सम्बन्ध में नीति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक औद्योगिक विकास विभाग, उत्तरांचल शासन के शासनादेश संख्या–11/औ0वि0/07–उद्योग/2004 दिनांक 27 जनवरी, 2004, शासनादेश संख्या–940/औ0वि0/07–उद्योग/2004–05 दिनांक 9/10 नवम्बर, 2004 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि औद्योगिक नीति–2003 के प्राविधानों के अनुरूप Mega Projects, जिनमें कुल पूंजी निवेश रू0 50 करोड़ से अधिक हो, की स्थापना को प्रोत्साहित करने एवं सुगमता से भूमि उपलब्ध कराने के दृष्टिगत भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना दिनांक 10 जून, 2003 में अधिसूचित भूमि को बृहत पूंजी निवेश की औद्योगिक इकाईयों द्वारा क्रय किये जाने पर Spot Zone औद्योगिक क्षेत्र के रूप में निम्नांकित दिशा–निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित/विनियमित किया जायेगा।

1– विशेष औद्योगिक क्षेत्र के रूप में उतनी ही भूमि अधिसूचित/विनियमित की जायेगी, जितनी वास्तविक आवश्यकता Mega Projects के लिये हो।

2– Mega Projects का आशय ऐसे बृहत पूंजी निवेश के उद्योग से होगा, जिसमें कुल अचल पूंजी निवेश रू0 50 करोड़ से अधिक हो।

3– विशेष औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिये विभिन्न विभागों आदि से नियमतः स्वीकृति, अनुमति, अनुमोदन तथा अनापत्ति आदि, जो भी वांछित औपचारिकतायें अपेक्षित हैं, वह सम्बन्धित प्रवर्तक कम्पनी द्वारा स्वयं पूर्ण की जायेंगी।

4– शासन द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों के विकास हेतु जी0आई0डी0सी0आर0–2005 में दिये गये मार्गदर्शी सिद्धान्तों, नियमों तथा उपबन्धों के अनुरूप भू–उपयोग, भवन निर्माण, हरित पट्टी, सड़क तथा अन्य अवस्थापना सुविधाओं के लिये निर्धारित मानकों का पूर्णतः पालन करना होगा।

5– ऐसे औद्योगिक क्षेत्रों की देख–रेख तथा अवस्थापना सुविधाओं के विकास का दायित्व प्रवर्तक कम्पनी की होगी।

6– विशेष औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने हेतु इच्छुक औद्योगिक इकाई/कम्पनी/ उद्यमी, इस आशय का आवेदन पत्र स्थापित किये जाने वाले उद्योग की विस्तृत प्रोजैक्ट रिपोर्ट, प्री–फिजिविलिटी रिपोर्ट, ले–आउट प्लान/की–प्लान, स्थलीय मानचित्र, सजरा मानचित्र, खसरा खतौनी, कम्पनी का मैमोरेण्डम आफ आर्टीकल एण्ड एशोसियेशन की प्रति, निदेशक मण्डल का रेजूलेशन तथा भू–स्वामियों से भूमि क्रय करने के सम्बन्ध में किये गये क्रय अनुबन्ध पत्र की प्रति सहित निदेशक उद्योग को प्रस्तुत करेंगे, ताकि

तदोपरान्त प्राप्त प्रस्ताव पर परीक्षणोपरान्त जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार Mega Projects के लिये क्रय की जा रही/क्रय अनुयन्धित भूमि को विशेष औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विनियमित/घोषित किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

7– विशेष औद्योगिक क्षेत्र के विनियमन/घोषित किये जाने के लिये प्रक्रिया निर्धारित करने, समय–समय पर शासन द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के कियान्वयन तथा विहित प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही के लिये निदेशक उद्योग, उत्तरांचल सक्षम प्राधिकारी होंगे।

भवदीय,

(संजीव चोपड़ा)
सचिव।

पृ0 सं0 /उक्त/ तद्दिनांकितः

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
2– स्टाफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन को अपर मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
3– प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
4– संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय(औद्योगिक नीति संवर्द्धन विभाग), उद्योग भवन, नई दिल्ली।
5– आयुक्त, कुमॉऊ/गढ़वाल मण्डल।
6– अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल राज्य ऊर्जा निगम, ऊर्जा भवन, देहरादून।
7– मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, देहरादून।
8– अध्यक्ष समस्त उद्योग संघ, उत्तरांचल।
9– समस्त जिलाधिकारी।
10– प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, देहरादून।
11– मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तरांचल, देहरादून।
12– सचिव, उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण परिषद, देहरादून।
13– समस्त महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र।
14– NIC Uttaranchal : इस अनुरोध के साथ की अधिसूचना को वैबसाईट पर प्रसारित कर दें।
15– गार्ड फाइल हेतु।

(संजीव चोपड़ा)
सचिव।